उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-**1/2024/**1579/94-स्टा0नि0-2-2023-700(03)/2024
लखनऊ : दिनांक **12 जनवरी, 2024**

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, अन्तर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू के साउथ एशिया रीजनल सेंटर की स्थापना हेतु ग्राम-सींगना, तहसील-किरावली, जिला-आगरा स्थित 10 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरूग्राम, हरियाणा (भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी निकाय) को 99 वर्ष के लिए प्रतिफल के बिना पट्टा पर अंतरित किये जाने हेतु उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरूग्राम, हरियाणा के मध्य निष्पादित होने वाली पट्टा विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क रुपये 37,50,000/- (रूपये सैतीस लाख पचास हजार मात्र) से छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2024/1579(1)/94-स्टा0नि0-2-2023, तददिनांक।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक **12 जनवरी, 2024** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-1/2024/1579(2)/94-स्टा0नि0-2-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, उद्यान अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no-**1/2024/**1579/94-S.R.-2-2023-700(03)/2024, Dated, **12 January, 2024**

Notification Order

No-**1/2024/**1579/94-S.R.-2-2023-700(03)/2024

Lucknow, Dated, **12 January, 2024**

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, the Hon'ble Governor, under this notification is pleased to remit the Stamp Duty Rs. 37,50,000/-(Thirty Seven Lakh Fifty Thousand Rupees Only) chargeable on the lease deed executed between Horticulture Department, Uttar Pradesh and National Horticulture Board, Gurugram, Haryana for transferring the 10 Hectare Land, situated in village Singna, Tehsil-Kirawali, District Agra on lease without consideration for 99 years to National Horticulture Board, Gurugram Haryana, (an autonomous body under the control of Government of India) for the establishment of South Asia Regional Center of International Potato Center Peru.

By Order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।